



जयपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

ऑफिस: द्वितीय तल, पुयना महिला हॉस्टल, पुलिस मुख्यालय के पास, लालकोठी, जयपुर -15
दूरभाष: 0141-2744562, 2744776 • Website: transport.rajasthan.gov.in/jctsl • Email: jctsl.bus@gmail.com

क्रमांक: जेसीटीएसएल/प्रनि/संस्था/डी- 3934

दिनांक 25/03/2026


विज्ञप्ति

जेसीटीएसएल मुख्यालय एवं विभिन्न आगारों में कार्मिक (क-2) विभाग, राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.17 (10) डीओपी/ए-11/94 जयपुर, दिनांक 28.03.2023 के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार सरकारी सेवा/राजस्थान परिवहन निगम से सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारियों की सेवायें समेकित पारिश्रमिक पर ली जानी है, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

पदनाम	ग्रेड पे/पे लेवल मैट्रिक्स	पद
आगार प्रबन्धक	4800 (L-12)	03
यातायात निरीक्षक	3600 (L-10)	06
सहायक यातायात निरीक्षक	2800 (L-8)	12

अतः इच्छुक सेवानिवृत्त आवेदनकर्ता दिनांक 05.04.2026 तक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जेसीटीएसएल कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्य जानकारी हेतु फोन नं. 0141-2744562 अथवा जेसीटीएसएल की वेबसाइट transport.rajasthan.gov.in/jctsl अथवा कार्यालय समय में जेसीटीएसएल मुख्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


विशेषाधिकारी
जेसीएसएल, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक: एफ. 17(10)डीओपी/ए-1/94

जयपुर, दिनांक :-

28 MAR 2023

परिपत्र:-

विषय:-सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम-164A में किये गये संशोधन की अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(6)वित्त/नियम/2009 दिनांक 01.12.2015 के अनुक्रम में इस विभाग के द्वारा परिपत्र दिनांक 08.02.2018 जारी किया गया था।

वित्त विभाग की आई.डी. 212300159 दिनांक 09.03.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में उपरोक्त परिपत्र के अधिक्रमण (Supersession) में राज्य सरकार के विभागों, विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगों, समितियों, राजकीय संस्थाओं आदि में जहां भी सेवा नियम अभी तक नहीं बन पाये हैं या रिक्त पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी उपलब्ध होने में विलम्ब की संभावना है वहां तात्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता के दृष्टिगत जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के माध्यम से सेवाएं लिए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

राज्य, अधीनस्थ, मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी सेवाओं एवं विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगों, समितियों तथा राजकीय संस्थाओं की स्पष्ट रिक्तियों के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने में से, जो भी पहले हो, तक की कालावधि के लिए प्रशासनिक विभाग के पूर्व अनुमोदन से की जा सकेगी, जिसे पद नहीं भरने के कारण/औचित्य दर्शाते हुए, प्रशासनिक विभाग की आज्ञा/पूर्व अनुमति से एक वर्ष की कालावधि के लिए और विस्तारित (Extend) किया जा सकेगा।

दो वर्ष के बाद समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की अवधि में अभिवृद्धि कार्मिक एवं वित्त विभाग की पूर्वसहमति से ही की जा सकेगी।

उक्तानुसार समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि करते समय निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावेगी :-

- (1) समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं केवल जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उन पदों के विरुद्ध ही ली जा सकेगी जो कि स्पष्ट रूप से रिक्त हैं। इस हेतु प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति पश्चात् राज्य सेवाओं की रिक्तियों के संबंध में संबंधित प्रशासनिक सचिव, अधीनस्थ, मंत्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में राज्य स्तरीय रिक्तियों के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष तथा जिला/स्थानीय स्तरीय रिक्तियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी सेवाएं लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

Signature valid

Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2023.03.28 10:03:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3482393



- (2) किसी संवर्ग में कनिष्ठतम वेतनमान में रिक्तियों को 65 वर्ष से कम आयु के राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी (शारीरिक रूप से/चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त होने पर ही) से भरी जा सकेगी। सक्षम प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी की पात्रता को प्रमाणित करने के लिए श्रेष्ठ निर्णयकर्ता होगा।

परन्तु उच्चतर पद के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं, निम्नतर पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति की संभावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करने के अधीन ली जा सकेगी।

- (3) केवल ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, की समेकित पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्ति पर सेवाएं लेने हेतु विचार किया जायेगा। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दंडित किया गया था, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
- (4) सेवानिवृत्त कर्मचारी जिस कैडर से सेवानिवृत्त हुआ है उस ही कैडर में रिक्त पद के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।
- (5) सक्षम प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया/मार्गदर्शक सिद्धान्त भी विहित कर सकेगा जो वह उद्देश्य और योग्यता आधारित नियुक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समझे।
- (6) सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति सेवा के प्रयोजनार्थ समेकित पारिश्रमिक राशि संलग्न परिशिष्ट-‘क’ के अनुसार होगी।
- (7) सेवानिवृत्त कार्मिकों की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं लिए जाने हेतु परिशिष्ट-‘ख’ पर संलग्न प्रारूप के अनुसार आदेश जारी किए जावें।
- (8) समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपाजित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
- (9) ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।
- (10) समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अधीन होगी।
- (11) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्ति पर लगे हुए व्यक्तियों को गोपनीय या संवेदनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने/रोकड़बही को लिखने और रोकड़िया के रूप में कृत्य करने से संबंधित कार्य न्यस्त (Entrust) नहीं किये जायेंगे।
- (12) इस प्रकार प्रशासनिक विभाग के स्तर से एक वर्ष हेतु समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति किए जाने एवं तत्पश्चात आगे एक वर्ष की अभिवृद्धि किए जाने के पश्चात् भी यदि ऐसे कार्मिक की अवधि में और अभिवृद्धि की आवश्यकता महसूस होती हो तो कार्मिक विल

Signature valid

Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2023.03.28 13:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3482393



विभाग को तत्संबंधी प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित सूचना के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

यह दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी होगा।

(हिमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/विभागाध्यक्ष।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1/ख-2) विभाग।
7. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), कार्मिक विभाग को कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
9. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Himant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2023.03.28 10:03:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3482393



परिशिष्ट-क

सेवानिवृत्त कार्मिकों की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाओं पर देय समेकित पारिश्रमिक राशि:-

क्र. सं.	पे-लेवल	परिपत्र दिनांक 06.02.2018 के आधार पर समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह (रुपयों में)	दिनांक 01.04.2023 से समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह (रुपयों में)
1.	L-1	6400/-	12200/-
2.	L-2	6500/-	12400/-
3.	L-3	7000/-	12600/-
4.	L-4	7400/-	13200/-
5.	L-5	9100/-	14400/-
6.	L-6	9100/-	14800/-
7.	L-7	9100/-	15500/-
8.	L-8	10400/-	18100/-
9.	L-9	10400/-	19800/-
10.	L-10	12000/-	23300/-
11.	L-11	13400/-	26100/-
12.	L-12	17400/-	30600/-
13.	L-13	19500/-	36600/-
14.	L-14	19500/-	38700/-
15.	L-15	21000/-	41900/-
16.	L-16	21900/-	46400/-
17.	L-17	23200/-	49000/-
18.	L-18	24600/-	52000/-
19.	L-19	25400/-	55100/-
20.	L-20	29000/-	61300/-
21.	L-21	40100/-	84900/-
22.	L-22	42300/-	89500/-
23.	L-23	46600/-	101300/-
24.	L-24	47600/-	102700/-

नोट :-1.

नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है। इसलिए उच्च पद से सेवानिवृत्त कार्मिक की, यदि निम्न पद पर समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से संबंधित सेवा के निम्नतम पद के लिए निर्धारित ग्रेड-पे/पे-लेवल से ए.सी.पी.योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड-पे के अनुसार समेकित पारिश्रमिक देय होगा।

2. उक्त संशोधित पारिश्रमिक का लाभ पूर्व से पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कार्मिक को भी देय होगा।

Signature valid

Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2023.03.29 13:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3482393



राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में
संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन ग्राह्य

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. अर्हताएं :
5. मूल विभाग का नाम :
6. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद :
7. अनुभव :
8. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैंड वेतन + ग्रेड पे)
(एलपीसी संलग्न है) :
9. मूल पेंशन राशि (पीपीओ संलग्न) :
10. धारित पद का वेतनमान
(सेवानिवृत्ति के समय) :
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र
(संलग्नानुसार) :

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए
वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र सं.....दिनांक.....में दिये गये सहमत निर्बंधों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

जयपुर:

दिनांक:

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 1 से 10 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती..... पुत्र/पत्नी..... जो सेवानिवृत्ति से पूर्व..... पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती..... की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती..... रु. मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बेंड वेतन + ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती..... अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती..... के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील